क्रम संख्या–61

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–1, खण्ड (क)**

**(उत्तराखण्ड अधिनियम)**

**देहरादून, मंगलवार, 31 मार्च, 2015 ई0**

**चैत्र 10, 1937 शक सम्वत्**

**उत्तराखण्ड शासन**

**विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग**

**संख्या 106/XXXVI(3)/2015/09(1)/2015**

**देहरादून, 31 मार्च, 2015**

## अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015"** पर दिनांक 31 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 15 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

# उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2015

**(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2015)**

**उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए**

## अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

**संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ**

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**धारा 8 का संशोधन**

2. उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्

"शहरी क्षेत्र में गोवंश के पालन के लिए संबंधित क्षेत्र के राजकीय पशुचिकित्सालय पर नियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी से गोवंश के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना बाध्यकारी होगा। राज्य सरकार द्वारा नियत तकनीक एवं प्रकिया के अनुरूप प्रत्येक गोवंश की व्यक्तिगत पहचान स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।"

**धारा 11 उपधारा (3) का संशोधन**

3. मूल अधिनियम की धारा 11 उपधारा (3) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्

"जो कोई धारा 7 एवं 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना, जो ₹ 2,000.00 (₹ दो हजार) तक हो सकेगा, से दण्डित किया जा सकेगा।"

**धारा 11 क का अन्तःस्थापन**

4. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् शीर्षक सहित एक नई धारा 11 क निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्

"अपराधों का शमन करने की शक्ति जो कोई धारा 7 अथवा धारा 8 में विर्निदिष्ट अपराध का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तो ऐसे अपराध का शमन मुख्य नगर अधिकारी या अधिशासी अधिकारी या संबंधित थाने का ऐसा पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक से निम्न पंक्ति का न हो, के समक्ष किया जा सकेगा और ऐसे अपराध हेतु विहित अधिकतम जुर्माना की धनराशि की आधी राशि प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत कर सकेगा : परन्तु ऐसे अपराध का शमन सक्षम न्यायालय में विचारण आरम्भ होने से पूर्व ही किया जा सकेगा अन्यथा नहीं।"

**आज्ञा से,**

**जय देव सिंह,**
**प्रमुख सचिव।**